भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

बेज़ नम्बर 24-25
दक्षिण मार्ग
सेक्टर 31 ऐ
दिनांक 07.05.2008

फाईल नम्बर:-9-HRB302/2007-CHA/1855

सेवा मे,

वित्तायुक्त एवं सचिव (वन),
हरियाणा सरकार, वन विभाग,
लधु सचिवालय, सेक्टर-17
चण्डीगढ ।

विषय:- **Diversion of 9.64 hec. of forest land for setting up of Translation Reserarch Teaching & Training in Biotechnology & Animal Research Laboratory at village Bhankri on Gurgaon-Badkhal road, under Forest Division & Distt. Faridabad Haryana.**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय में संम्बन्धित आपके पत्र संख्या 1968-va-4-2007/7022 दिनांक 18.04.2007 एवं नोडल आफिसर, हरियाणा सरकार के पत्र संख्या प्रशा-डी-तीन-2562/681 दिनांक 25.04.2008 का अवलोकन करें, जिसमें वन (सरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि प्रतिपूर्ति पौधारोपण के लिए 2792867/-रूपये (रू सताईस लाख बानवे हजार आठ सौ शढ़शठ) तथा वन भूमि की NPV के लिए 8868800/-रूपये (रू अठासी लाख अढसठ हजार आठ सौ) CAMPA की तदर्थ समिति में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पहले ही जमा कराई जा चुकी है ।

राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु **9.64 hec.** वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निम्नलिखित शर्ते पूरी करने पर प्रदान की जाती है:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।
2. कम से कम वृक्ष कटवाये जायेगे जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 6 वृक्ष और 6450 पोधो से अधिक नही होगी।
3. प्रतिपूर्ती पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार Alipur Reserve Forest में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त 2792867/-रूपये (रू सताईस लाख बानवें हजार आठ सौ शढ़शठ) की राशि से 19.37 ha में पौधे लगाकर किया जायेगा। **प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए ।**
4. प्रयोक्ता एजेंसी से यह अंडरटेकिंग भी ली जाए कि अगर NPV की दरों में बढोतरी होती है तो अतिरिक्त/अन्तरीय राशि अदा करने के लिए प्रयोक्ता एजैंसी बाध्य होगी ।
5. राज्य सरकार पत्र संख्या 5-2/2006-FC दिनांक 20.05.2006 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार NPV तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकार के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या CA-1590, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण) ,ब्लाक-11 भूतल सी.जी.ओ. काम्पलैक्स , फेज-1 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करायेगी ।
6. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
7. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

एम. वी. सैनी / M. V. Saini
प्रधान - प्रशासन / Head - Administration
ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
(भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान)
Translational Health Science and Technology Institute
(An autonomous institute of the Dept. of Biotechnology, Govt. of India)
NCR Biotech Science Cluster, 3rd Milestone, Faridabad-Gurgaon Expressway,
PO Box No. 04, Faridabad-121001 Haryana, India

cont...2/-.

मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्ध कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।

भवदीय्

(श्रीकृष्ण सहरावत)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपिः-

1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा सरकार, C-18 , सैक्टर 6, पंचकुला, हरियाणा
2. अपर वन महानिदेशक (FC), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ काम्पलेक्स लोधी रोड नई दिल्ली ।
3. Divisional Forest Officer Faridabad, Haryana.
4. B.Bose Management Consultant, National Institute of Immunology (Department of Biotechnology, Govt of India) Aruna Asif Ali Marg, New Delhi
5. गार्ड फाईल ।

एम. वी. सैंटो / M. V. Santo
प्रधान - प्रशासन / Head - Administration
ट्रासलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
(भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान)
Translational Health Science and Technology Institute
(An autonomous institute of the Dept. of Biotechnology, Govt. of India)
NCR Biotech Science Cluster, 3rd Milestone, Faridabad-Gurgaon Expressway
PO Box No. 04, Faridabad-121001 Haryana, India